राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 512/2017/हनुमानगढ़.

मैसर्स जी.सी.एस. एग्रो एन्टरप्राइजेज,
संगरिया, हनुमानगढ़. .....अपीलार्थी.
बनाम
वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–बी, हनुमानगढ़ .....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 513/2017/हनुमानगढ़.

मैसर्स गणेश एन्टरप्राइजेज,
प्लॉट नं.–ई 2,3,4 रीको, फेस–II, संगरिया, हनुमानगढ़. .....अपीलार्थी.
बनाम
वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–बी, हनुमानगढ़. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :
श्री सुरेश ओझा,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 14.02.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 79 व 94/आरवैट/हनुमानगढ़/14–15 में पारित पृथक पृथक आदेश दिनांक 04.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, हनुमानगढ़ (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 22 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 12.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. इन दोनों अपीलों के तथ्य व विवादित बिन्दु सदृश्य हैं। अतः दोनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त दोनों ही व्यवसाइयों के वर्ष 2011–12 के कर निर्धारण आदेश 12.02.2014 को पारित किये गये थे, जिसमें वार्षिक विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण वैट नियम, 2006 के नियम 19A के तहत विलम्ब शुल्क क्रमशः रुपये 21,700 एवं 25,000 आरोपित किये गये, जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय दिया गया कि विलम्ब शुल्क जमा करवाया जाना कर दाता का अनिवार्य कर्तव्य है एवं यह स्वतः देय होने से इसे यथावत रखा गया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

4. अपीलार्थीयों के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 22 के तहत यह कर निर्धारण आदेश पारित किये गये है, जो अविधिक है क्योंकि अपीलार्थियों द्वारा विवरण पत्र प्रस्तुत कर दिये गये थे। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 23 अथवा धारा 24 में कर निर्धारण किया जा सकता था, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त दानों कर निर्धारण आदेश धार 22 में पारित किये है, जो अविधिक है क्योंकि धारा 22 में केवल वे ही आदेश पारित किये जा सकते है जिनमें या तो कर जमा न किया गया हो या विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हो, जबकि इन प्रकरणों में विवरण पत्र प्रस्तुत कर दिये गये थे। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर कोई निर्णय नहीं दिया गया कि किये गये कर निर्धारण आदेश विधिक है अथवा नहीं बल्कि उनके द्वारा सीधे विलम्ब शुल्क आरोपण पर ही निर्णय लिया गया, जबकि अपीलीय आदेश में दिये गये कथन में यह अंकित किया हुआ था कि अपीलार्थी की ओर से धारा 22 में कर निर्धारण किया जाना अविधिक बताया गया है अतः अपीलीय अधिकारी को इस बिन्दु पर निर्णय किया जाने हेतु प्रकरणों को अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जावें।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने इस बिन्दु पर हीं बल दिया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय CIT Vs. RameshChandra Modi 249 ITR 323 के प्रकाश में अपीलीय आधारों का निस्तारण न किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः कर निर्धारण आदेश के धारा 22 में पारित किये जाने के बिन्दु पर किये गये आक्षेप को निस्तारित नहीं किये जाने के अपीलीय निर्णय को विधिसम्मत न मानते हुये प्रकरणों को अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जावें। अपीलीय आदेश के पठन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के अपील आधारों में से धारा 22 में कर निर्धारण किये जाने को अविधिक बताने का विवरण अंकित किया गया है परन्तु इस बिन्दु पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः उक्त दोनों प्रकरणों को अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर इस बिन्दु पर पुनः आदेश पारित किये जाने के निर्देश दिये जाते है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार कर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को उक्त बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात निर्णय किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य